संख्या-97/2026/आई/1465645/2026/65-2099/728/2019

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 16 सितम्बर, 2026

**विषय-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0) के अंतर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार से प्राप्त Mother Sanction के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2020/दि0स0वि0/एस0एन0ए0स्पर्श/2026-27 दिनांक 03.09.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235 (राजस्व) के अन्तर्गत धनराशि रू0 1137.63 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख तिरेसठ हजार मात्र) एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत रू0 443.63 लाख (रू0 चार करोड़ तैंतालीस लाख तिरेसठ हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत धनराशि रू0 3.52 लाख (रू0 तीन लाख वावन हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रु0 1584.78 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ चौरासी लाख अठहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृतियां निम्नानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

## अनुदान संख्या-79

**(धनराशि रू0 लाख में )**

| **क्र.सं.** | **लेखाशीर्ष** | **स्वीकृति धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-01-केंद्र प्रायोजित योजनायें-0105-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन केन्द्र 100 राज्य 00 के (2235 02 101 01 0105 00)<br>63- सामाजिक पेंशन | 1137.63 |
| **अनुदान संख्या-79 का योग:-** | | **1137.63 (रू0 ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख तिरेसठ हजार मात्र)** |

## अनुदान संख्या-83

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| **ब्यौरेवार शीर्ष** | **स्वीकृति** |
|---|---|
| **1** | **2** |
| लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केंद्र प्रायोजित योजनायें-0105-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन केन्द्र 100 राज्य 00 के (2235 02 789 01 0105 | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | |
|---|---|
| 00) | |
| 63-सामाजिक पेंशन | 443.63 |
| **अनुदान संख्या-83 का योग** | **443.63**<br>**(रूपये चार करोड़ तैंतालीस लाख तिरेसठ हजार मात्र)** |

## अनुदान संख्या-81

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| **ब्यौरेवार शीर्ष** | **स्वीकृति** |
|---|---|
| **1** | **2** |
| लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-01-केंद्र प्रायोजित योजनायें-0105-इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन केन्द्र 100 राज्य 00 के (2235 02 796 01 0105 00) | |
| 63-सामाजिक पेंशन | 3.52 |
| **अनुदान संख्या-81 का योग** | 3.52<br>**(रूपये तीन लाख वावन हजार मात्र)** |

2- शर्तें/प्रतिबन्ध:-

(i) उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जिन मदों में व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, उनसे संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जायेगें और शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(ii) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(iv) धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26.09.2025 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(vi)निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

(vii) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(viii)निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(ix)योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग स्वयं संतुष्ट हो लेंगे एवं आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा।

(x)निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए एस0एन0ए0 को प्रेषित की जायेगी तथा एस0एन0ए0 द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(xi)समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अत: एस0एन0ए0 स्तर पर पुन: परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। एस0एन0ए0 द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-E-4-**125**-X-2026-27 दिनांक:10-09-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

**संख्या/दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2.महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।

3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4.राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 लखनऊ ।

5.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।

6.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।